न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
24/2024	प्रा.पत्र 111, 128 एल.आर.ए.	03.06.2024	11.07.2025

1. महेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी चूरू (राज.)
2. शिवकुमार बगड़िया पुत्र महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी चूरू (राज.)
3. संतोष कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी चूरू (राज.)
4. सुरेश कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी चूरू (राज.)
5. सरिता कुमारी पुत्री महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी चूरू (राज.)
   प्रार्थीगण के मख्यतार आम विनोद कुमार बगड़िया पुत्र महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी चूरू (राज.)
6. विनोद कुमार बगड़िया पुत्र महावीर प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी चूरू (राज.)

—वादी—

बनाम

1. राजकुमार पुत्र अर्जुनराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. सोहनलाल पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरू
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू (राज.)

प्रार्थीगण

4. पुनित बगड़िया पुत्र सेरश जाति अग्रवाल निवासी चूरू (राज.)
5. प्रकाश बगड़िया पुत्र विनोद कुमार जाति अग्रवाल निवासी चूरू (राज.)

—गौण अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.ए.

उपस्थित –
1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम प्रार्थी
2. अधिवक्ता संजय सिहाग अप्रार्थी संख्या 01
3. अधिवक्ता अभिषेक पुनियां अप्रार्थी संख्या 021
4. अप्रार्थी संख्या 04 व 05 संजीव कुमार मीणा।
5. पैरोकार राज अप्रार्थी संख्या 03

अन्तिम निर्णय

प्रार्थी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.ए. का पेश कर निवेदन किया है कि

1. यह कि ख.नं. 80 तादादी 0.8726 हैक्टेयर व ख. नं. 92 तादादी 2.5672 हैक्टयेर रोही ग्राम खासोली तहसील व जिला चूरू (राज.) के हैं। प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 शामिल प्रार्थना पत्र है।
2. यह कि प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण [illegible] भूमि है जो कि प्रार्थीगण व गौण अप्रार्थीगण के ही कब्जे [illegible] चली आ रही है।
3. यह कि प्रार्थी महेश कुमार [illegible] सीमा ज्ञान बाबत दि[illegible] पर हल्का पटवारी द्वारा सीमा ज्ञान शुल्क जमा कर[illegible] दिया गया जिस पर त[illegible] कार्यालय द्वारा रिपोर्ट कर हल्का पटवारी ने दिनांक 29.04.2024 के आदेश के संदर्भ में उक्त कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करवाया और अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि उक्त भूमि मोवे पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जरीब चलाकर सीमा ज्ञान करवाया गया। जिसमें हल्का पटवारी द्वारा खसरा नं. 92, 80 का सीमा ज्ञान करवाने के लिए मौके पर खसरा नं. 92, 80 की सीमा खसरा नं. 1577/79 की तरफ आ रही है व खसरा नं. 92 की सीमा खसरा नम्बर 90, 91 व 92/793 की तरफ आ रही है मौके पर उपस्थित पक्षकरों को सीमाज्ञज्ञन करवाया गया और फर्द मौका पढ कर व लिख कर सुनाया गया तथा मौके पर काश्तकारो के अंगुठा निशान करवाये गये उक्त खसरे में सीमा ज्ञान के दौरान मुताबिक रिकॉर्ड के मौके पर रकबा कम है जिसके बाबत उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरगढी के लिए यह प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जिसके साथ इस उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न हैं।

4. यह कि उक्त कृषि भूमि के खसरा नं. 1577/79 व खसरा नं. 91 के काश्तकार हल्का पटवारी के सीमाज्ञान से संतुष्ट हो कर व मौके पर पत्थरगढी करवाली। परंतु खसरा नं. 90, 92/793 के खातेदार ने मौके पर पत्थरगढी से टालमटोल किया जा रहा है।
5. यह कि उक्त कृषि भूमि की खेत की सीमा अप्रार्थी द्वारा क्षतिग्रस्त, क्षीण व जर्जर हालत में जिसमें उक्त सींव स्पष्ट नहीं होने के कारण दोनों पक्षों के बीच सींव को लेकर प्रतिदिन झगड़ा फसाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिउ उक्त विविध प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में प्श किया जा रहा है जो कि सीमा का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाई जाये जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो सके।
6. यह कि प्रार्थीगण की उपर पैरा संख्या 04 में वर्णित सीव को काटकर छिन्न भिन्न अस्पष्ट जर्जर हालत करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थी के लिए यह जरूरी हो गया कि पुख्ता सीमा ज्ञान व पत्थरगढी उक्त कृषि भूमि की करवाई जाये। इसलिए यह विविध प्रार्थना पत्र अदालत माहत में पेश किया जा रहा है।
7. यह कि प्रार्थीगण एक सभ्य एवं भोल-भाला किसान है मगर मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच सींव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जर्जर व क्षीण हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थी के लिए सीमा ज्ञान आवश्यक हो गया है कि खसरा नम्बर 80 तादादी 0.8726 हैक्टेयर व ख. नं. 92 तादादी 2.5672 हैक्टेयर रोही ग्राम खारोली का सही सीमा ज्ञान करवार कर पुख्ता सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।
8. यह कि प्रार्थीगण सं. 01 ये 05 का मुख्यतार आम विनाके दकुमर पुत्र माहवीर प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी चूरू है जिसके मुख्यतार की फोटोप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
9. यह कि प्रार्थी की जरूरी हो गया है ि कवह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढी) करवाना चाहता है जिससे आगे भिविष्य में आस-पडौसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान संबंधित विवाद ना रहे।
10. यह कि प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि ... भूमि में बैंक शाखा प्रबंधक को पक्षकार नहीं बनाया है।
11. यह कि सभी प्रक्रिया ... कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थी ... बनाया गया है।
12. यह कि प्रार्थी पत्थरगढी व सीमा ज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जाम करवा दी जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

13. यह कि विवादित कृषि भूमि श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार के स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र जाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

14. यह कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदजन है क प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं ख. नं. 80 तादादी 0.8726 हैक्टेयर व ख. नं. 80 तादादी 0.8726 हैक्टेयर व ख.नं. 92 तादादी 2.5672 हैक्टेयर रोही ग्राम खासोली का सीमा ज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह(पत्थरगढी) करवाई जावे एवम् प्रार्थी उचित शुल्क देने हेतु तैयार है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजि.डाक सम्मन तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से संजय सिहाग ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अभिषेक पुनियां ने वकालतनामा पेश किया। गौण अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार मीणा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया शेष अप्रार्थीगण को काफी अवसर दिये जाने के बावजूद इनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब इस प्रकार है।

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 01 में अंकित तथ्य जानकारी के अभव में अस्वीकार है प्रार्थीगण का वादगत कृषि भूमि पर कभी कब्जा कृषि भूमि के मात्र दस्तावेज क्रय किये हैं मौका की स्थिति का प्रार्थीगणों को कोई ज्ञान कभी नही रहा है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में अंकित तथ्य पूर्णतया गलत दर्ज करवाये हैं प्रार्थीगण का वादगत कृषि भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 में अंकित तथ्य पूर्णतया गलत दर्ज करवाये गये हैं प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से मिलीभगत कर बाला बाला रूप से गलत रिपोर्ट तैयार करवाई है मुझ अप्रार्थी के ऐसी सीमा ज्ञान रिपोर्ज पर कोई हस्ताक्षर हैं प्रार्थीगण ने उक्त तथ्य गलत अंकित करवाये हैं मुझ अप्रार्थी का ऐसी सिमा ज्ञान रिपोर्ट पर कोई हस्ताक्षर नही हैं प्रार्थीगण ने उक्त तथ्य गलत अंकित करवाये हैं मुझ अप्रार्थी नहीं हैं मुझ अप्रार्थी द्वारा मेरी कृषि भूमि खसरा नम्बर 937/98, 92/793 वोके रोही खांसोली का निजी विशेषज्ञ ,द्वारा मौका पर नाम करवाया तो मुझ अप्रार्थी की भूमि राजस्व रिकॉर्ड से मौक पर कम पाई गई है इसलिए प्रार्थीगण की भूमि मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि में आने के तथ्य स्वतः ही गलत साबित हो जातें मुझ अप्रार्थी की यह पैतृक कृषि भूमि है तथा भूमि बार–बार विक्रय होकर क्रय की हुई है तथा कभी काश्त नहीं की गई है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 04 में अंति तथ्य पूर्णतया गलत दर्ज करवाये जाने के कारण अस्वीकार है।

5. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 05 में अंकित तथ्य गलत दर्ज करवाये जाने के कारण अस्वीकार है। मुझ अप्रार्थी के [illegible] सीमांकन है जो वर्तमान में भी मौजूद है मेरे द्वारा कभी नष्ट नहीं किऐ गये [illegible] द्वारा प्रार्थीगणों के साथ कभी झगड़ा किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:06 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद स[illegible] पूर्णतया गलत दर्ज करवाये जाने के कारण अस्वीकार है।

7. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 07 मे अंकित तथ्य गलत दर्ज करवाये जाने के कारण अस्वीकार है प्रार्थीगण किसान नहीं हैं व्यापारी हैं एवं भूमि क्रय विक्रय का कारोबार करते हैं मुझ

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के साथ कभी विवाद नहीं किया गया है प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी से कभी मिले नही है तथा ना ही जानकार हैं।

8. यह कि प्रार्थना –पत्र की मद संख्या 08 में अंकित तथ्य गलत दर्ज करवाये गये हैं तााि न्यायालय से गलत आदेश प्राप्ति हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 10 में अंकित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

10. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 11, 12, 13 में अंकित तथ्य कानूनी होने से जबाब की आवश्यकता नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मात्र मुझ अप्रार्थी को तंग परेसान करने की नियत से कानूनी प्रावधानों के वितपरीत दस्तावेजों को क्रय कर मौका पर काबिज होने की जिनयत से पेश किया गया होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रस्तुत होने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण महेश कुमार व अन्य द्वारा प्रस्तुत इस प्रार्थना–पत्र में यह निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 80 (तादादी 0.8726 हेक्टेयर) एवं खसरा संख्या 92 (तादादी 2.5672 हेक्टेयर), रोही, ग्राम खासोली, तहसील एवं जिला चूरू की कृषि भूमि पर उनका तथा गौण अप्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं दीर्घकालीन कब्जा है। भूमि की सीमाएं स्पष्ट न होने तथा सीमाओं के क्षतिग्रस्त, जर्जर व अस्पष्ट होने के कारण दोनों पक्षों में भविष्य में विवाद की आशंका बनी हुई है। प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाया जिसकी रिपोर्ट दिनांक 29.04.2024 को तैयार की गई, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि मौके पर खसरा संख्या 80 व 92 की सीमाएं खसरा संख्या 90, 91, 92/793 व 1577/79 से मिलती हैं। सीमाज्ञान में भूमि का रकबा रिकॉर्ड से कम पाया गया, जिससे स्पष्ट हुआ कि भूमि की सीमाएं मौके पर स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं हैं। पत्थरगढी की कार्यवाही आंशिक रूप से हुई प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता शिव गौतम तथा प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता संजय सिहाग, प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पूनियां एवं गौण अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता सजीव मीणा उपस्थित हुए। प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संख्या 01 राजकुमार द्वारा यह कहा गया कि प्रार्थीगण का भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट पटवारी से मिलीभगत कर तैयार करवाई गई है। उसके अनुसार यह भूमि पूर्व से ही सीमांकित है और प्रार्थीगण द्वारा जानबूझ कर विवाद उत्पन्न किया गया है। सीमाज्ञान की वैधता सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार के आदेशानुसार नियमानुसार किया गया है अतः सीमाज्ञान की कार्यवाही प्रथम दृष्टया वैध प्रतीत होती है। सीमा विवाद की संभाव्यताः भूमि की सीमाएं मौके पर स्पष्ट नहीं हैं तथा कुछ सीमाएं खंडित अथवा जर्जर हो चुकी हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि खेत की सींव रपष्ट न होने से विवाद की संभावना बनी रहती है। भूमि स्वामित्व विवाद नहीं यह वाद केवल सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु है, न कि स्वामित्व संबधी विवाद का निपटारा करने हेतु। स्वामित्व पर विवाद नहीं उठाया गया है, अतः यह राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में विधिसंगत रूप से आता है। न्यायालय का क्षे[illegible] वाद की भूमि उपखण्ड क्षेत्राधिकार में स्थित है अतः श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान भू–राजस्व अधिनि[illegible] यह प्रावधान है कि जब खातेदार के खेत की सीमा विवादित हो या सीमा स्पष्ट न हो तो सीमांकन करवाने का अधिकार उसे प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में वादक[illegible] की भूमि एवं सीमावर्ती भूमि के मध्य सीमा स्पष्ट नहीं है, जिससे समय–समय पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि वादकर्ता की भूमि का सीमांकन करवाकर

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पत्थरगढी करवाई जाए। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से किसी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

संपूर्ण पत्रावली, दस्तावेज, बहस एवं राजस्व अभिलेखों के अवलोकन उपरांत यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.स. 80 तादादी 0.8726 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 92 तादादी 2.5672 हैक्टेयर रोही ग्राम खासोली तहसील व जिला चूरू का पटवारी के सीमांकन दिनांक 29.04.2025 के अनुसार पुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जाए। इस हेतु राजस्व की एक टीम गठित की जाए, जिसमें संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार / नायब तहसीलदार सम्मिलित हों, जो मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में नियमानुसार पटवारी के सीमांकन दिनांक 29.04.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी करें। कार्यवाही से पूर्व सभी संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना दी जाए ताकि वे सीमांकन के समय उपस्थित रह सकें। सीमांकन एवं पत्थरगढी की समस्त कार्यवाही का विवरणात्मक पंचनामा एवं मानचित्र सहित रिपोर्ट तैयार करें। सीमांकन एवं पत्थरगढी में होने वाला समस्त व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे। अप्रार्थी संख्या 03 (तहसीलदार) को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाते है कि वे निर्धारित समयावधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(विजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:33:06 IST
Reason: SelfAttested